

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/769 /

जबलपुर, दिनांक 19/01/2024

II-13-121/23

श्री दीपक सविता, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 31- (1)- (अ) के अनुसार दिनांक 14.09.2023 से 13.10.2023 तक 30 दिन का असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) स्वीकृत किया गया।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय  
के आदेशानुसार  
सही / -

(संजय कुमार सिंह)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक C/770 /

जबलपुर, दिनांक 19/01/2024

II-14-121/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 5430/स्था. ग्वालियर, दिनांक 15/12/2023 के संदर्भ में श्री दीपक सविता, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र दिनांक 17.10.2023 को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
18.1.24  
(संजय कुमार सिंह)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)